

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा</u> सरकार बनाम प्रभुदयाल</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य</p> <p>उपस्थित :- श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राज. अभिभाषक प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी --</p> <p style="text-align: right;">दिनांक : 03-3-2020</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>1. यह रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा-82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 30-1-2003 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, बसवा जिला दौसा द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा में स्थित गत खसरा नम्बर 388/3 रकबा 1 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष के लिये भू आबंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25-6-1989 को प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द को आबंटित की गई थी। उक्त आबंटन का नामान्तरकरण संख्या-367 दिनांक 19-5-1990 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है। अमल जमाबन्दी संवत 2041-44 के खाता संख्या-1 पर हुआ है। भू प्रबन्ध विभाग से प्राप्त मिसल बन्दोबस्त संवत 2052 के अनुसार उक्त आबंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर-995/1200 रकबा 0.25 हैक्टेयर बने हैं जो निजी वन विकास की गैर खातेदारी में दर्ज हैं, जो बिल्कुल गलत है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 एवं अधिनियम की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन निजी वन विकास होने के कारण इस भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता था।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>आवंटन विधि विरुद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार भी विधि विरुद्ध है। उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को गैर मुमकिन निजी वन विकास दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30-1-2003 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>3. बहस उभयपक्ष सुनी गयी।</p> <p>4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरुद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन निजी वन विकास होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 के परिपेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति गैर मुमकिन निजी वन विकास दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें।</p> <p>5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर-388/3 में से 1 बीघा भूमि का वन विकास हेतु 25 वर्ष के लिये दिनांक 25-6-1989 को आबंटित की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 19-5-1990 को तसदीक किया गया था जिसका अमल जमाबन्दी संवत 2041-44 में किया जा चुका</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>है। उक्त भूमि का हाल खसरा नम्बर 995/1200 रकबा 0.25 हैक्टेयर बने हैं। तहसीलदार ने जानबूझकर परेशान करने की गरज से रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जो आधारहीन होने के कारण निरस्तरनीय है।</p> <p>6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।</p> <p>7. पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बैठक कार्यवाही विवरण आबंटन सलाहकार समिति ग्राम पंचायत श्यालाबास खुर्द दिनांक 25-6-1989 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 388/3 रकबा 1 बीघा प्रभूदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण गूर्जर को निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष की लीज पर आबंटित की गई है जिसका नामान्तरकरण संख्या-367 दिनांक 19-5-1990 को तसदीक किया जा चुका है एवं जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2041-44 में किया जा चुका है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 995/1200 रकबा 0.25 हैक्टेयर बने हैं जो जमाबन्दी संवत 2054 में अप्रार्थी के खाते में दर्ज हैं।</p> <p>8. अप्रार्थी को उक्त भूमि का लीज पर आबंटन Rajasthan Land Revenue (Allotment of unculturable waste Land for development of private forests) Rules 1986 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत आबंटन हेतु निम्न शर्त दी गई है :-</p> <p>13. आबंटन की शर्तें - (1) इन नियमों के अन्तर्गत भूमि का आबंटन पट्टाधारी आधार पर होगा। प्रारम्भ में पट्टा एक बार में 25 वर्षों की अवधि के लिये स्वीकृत होगा, लेकिन शर्त यह है कि इन नियमों में विहित किन्हीं शर्तों एवं निबन्धनों का उल्लंघन नहीं किया गया है।</p> <p>(2) आबंटी सिफारिश की गई जाति के वृक्ष, झाड़िया तथा घास का पोधारोपण कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।</p> <p>(3) आबंटी वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित जाति के</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>वृक्ष, झाड़िया तथा घास लगायेगा। वह पौधारोमण प्रथम वर्ष एक तिहाई क्षेत्र में, दूसरे वर्ष अगले एक तिहाई क्षेत्र तथा तीसरे वर्ष शेष एक तिहाई क्षेत्र पर करेगा। इन विभागों के नियम 12 के उप नियम(7) के अधीन उसे हस्तान्तरित भूमि के पश्चात अपने वाली जुलाई की पहली तारीख से यह अवधि प्रारम्भ होगी।</p> <p>(4) भूमि की उपज के संबंध में, आबंटी पूर्ण अधिकारी का उपभोग, आबंटन की शर्तों एवं निर्बन्धों के अध्यक्षीन करेगा।</p> <p>(5) आबंटन की तारीख से प्रथम 10 वर्षों के लिये आबंटी से कोई लगान नहीं लिया जायेगा तथा इसके पश्चात उसके गांव की बरानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से लगान देय होगा।</p> <p>(6) आबंटी भूमि पर विद्यमान कुओं तथा पक्की इमारतों, यदि हों, का वह राज्य सरकार को भुगतान करेगा तथा भूमि पर खड़े वृक्षों की कीमत, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-80 एवं 81 के अधीन बने नियमों में निर्धारित दरों से भुगतान भी राज्य सरकार को करेगा।</p> <p>(7) आबंटन की किन्हीं शर्तों एवं निबन्धनों का उल्लंघन होने पर, कलेक्टर द्वारा वह भूमि किसी भी समय बिना मुआवजा दिये पुनर्ग्रहित की जा सकेगी।</p> <p>(8) आबंटी को आबंटित भूमि, जिस पर वह वृक्षारोपण किया हो, पर किसी प्रकार के कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होंगे तथा वह भूमि को हस्तान्तरित नहीं करेगा, न उप किरायेदारी पर देगा तथा न उसे अन्य प्रकार से व्ययनित करेगा तथा न ही किसी प्रकार का कोई स्वत्वाधिकार, भोगाधिकार या देयता सृजित करेगा। उस भूमि पर स्वामित्व राज्य सरकार में निहित रहना जारी रहेगा।</p> <p>(9) केवल ईंधन लकड़ी या फलों या चारे के वृक्षों के पौधारोपण के प्रयोजनार्थ ही आबंटित भूमि का उपयोग किया जायेगा। आबंटि को कथित भूमि पर कृषि करने या फसल उगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।</p> <p>(10) (क) आबंटी, वृक्षों के केवल भोगाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। भोगाधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित होंगे। :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) सूखी टहनियां एकत्रित करना, (ii) टहनियों की लकड़िया एवं छंटाई लेना, (iii) फलों, फूलों, बीजों, पत्तियों, निस्त्राव आदि की उपज लगाना, 	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>(iv) वृक्ष आधारित कार्य, जैसे मुधमक्खरी पालन, रेशम कीड़ों का पोषण, लाख उत्पादन आदि करना।</p> <p>(v) वृक्षों की झाड़ी या गुल्म बन उगाना।</p> <p>(vi) केवल वित्तीय संस्थाओं को वृक्ष / पट्टे आदि रखकर ऋण प्राप्त करना तथा ऐसी संस्थाओं के हक में वृक्षों या भूमि पर प्रभार उत्पन्न करना।</p> <p>(ख) आबंटी की मृत्यु होने पर, इस आबंटन के अन्तर्गत अधिकार एवं देयता प्रवृत्त व्यक्तिगत कानूनी के अनुसार उत्तराधिकार योग्य होंगे।</p> <p>(11) (क) आबंटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह वृक्षों की उचित प्रकार से देखभाल, रख रखाव तथा सुरक्षा करें एवं यह भी देखे कि निर्धारित न्यूनतम संख्या और निर्धारित अवधि में, वृक्ष खड़े किये जाते हैं।</p> <p>(ख) घेराबन्दी / बाड़, प्राकृति जैविकी प्रकार का होना चाहिये, जैसा की स्थानीय रूप से उपलब्ध है, जहां तक संभव हो, उचित किस्म का हो या वह खाईनुमा एवं टीलेबन्दी के रूप में होना चाहिये। सामान्यतया घेराबन्दी प्रत्येक पौधे हेतु पृथक होनी चाहिये।</p> <p>(ग) यदि आबंटी के नियन्त्रण से परे कारणों से पौधे/वृक्ष मुरझा जायें, मर जायें या गिर जायें, तो आबंटी इस तथ्य की सूचना तहसीलदार को देगा एवं तदन्तर उसे काटकर उसकी लबड़ी ले लेगा।</p> <p>(घ) आबंटी का आबंटन, उपखण्ड अधिकारी के अनुमोदन से पूर्ण या आंशिक रूप से, योग्यता श्रेणी के किसी व्यक्ति को उन्हीं शर्तों एवं निबन्धनों के अध्यक्षीन रहते हुये हस्तान्तरित किया जा सकेगा। किसी ऐसे मामले में, जहां वृक्ष/भूमि को रहन रखकर ऋण ले लिया गया हो, वहां भूमि का हस्तान्तरण केवल संबंधित वित्तीय संस्था के पूर्व अनुमोदन से तथा रहन रखे वृक्ष/भूमि पर वित्तीय संस्था का प्रभार जारी रखते हुये, किया जायेगा।</p> <p>(ड) उपखण्ड अधिकारी की बिना अनुमति से हस्तान्तरण हस्तान्तरण के मामले में, हस्तान्तरिती को कोई अधिकार अर्जित नहीं होंगे और उसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा-91 के अन्तर्गत सरसरी रूप से निष्कासित किया जा सकेगा। यह हस्ताक्षर रद्द एवं अमान्य होगा तथा बाध्यकर नहीं होगा।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>(च) वृक्षों के द्वारा वन वर्धन परिपक्वता प्राप्त करने पर, वन विभाग की सैफारिश के अनुसार आबंटी उन वृक्षों को काटकर उसकी लकड़ी ले जा सकता है, बशर्ते कि काटे जाने वाले वृक्षों का जीवन पूर्ण होने के दो वर्षों पूर्व आबंटी ने काटे गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर कम से कम दो वृक्ष लगा दिये हैं। यदि वन वर्धन परिपक्वता अर्जित करने से 2 वर्ष पूर्व उनके स्थान पर दो वृक्ष नहीं लगाये हैं, तो उपखण्ड अधिकारी की लिखित अनुमति से लकड़ी काट कर उसे ले जाने की आज्ञा दी जा सकती है तथा उसे ऐसा करने से पूर्व विहित शुल्क जमा करवाना होगा।</p> <p>(छ) योजना संबंधी ऐसे अन्य सामान्य निर्देशों का भी पालन करेगा, जो समय समय पर राज्य सरकार जारी करती है।</p> <p>(ज) सड़क / नहर के साथ साथ, आबंटी द्वारा वृक्ष इस प्रकार लगाये जायेंगे कि सुरक्षित यातायात या तबन्धन की मजबूती, जैसा भी मामला हो, को कोई खतरा नहीं हो तथा जब कभी भी जनहित में उसे हटाना आवश्यक हो, उचित अधिकृति के निर्देशानुसार उसे हटाया जा सकेगा। इस प्रकार के निर्देश अन्तिम होंगे।</p> <p>(12) (क) आबंटी किसी भी प्रकार से उत्पादक क्षमता में पर्याप्त रूप से कोई कमी या उसे समाप्त नहीं होने देगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जो भूमि, जिस पर वृक्ष लगाये गये हैं, के लिये वह कार्य विनाशकारी या हानिकारक हो या उसे उत्पादन हेतु अयोग्य करे।</p> <p>(ख) कथित भूमि पर कृषि की फसल पैदा करने का आबंटी को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय ईंधन लकड़ी या चारे की अन्तर खेती के एवं वह भूमि केवल वृक्ष उगाने हेतु काम लेगा।</p> <p>(ग) भूमि पर कोई विकास / उन्नति अनुज्ञेय नहीं होगी, सिवाय ऐस कार्य, जो वृक्ष उगाने एवं उनका पोषण करने के आनुषंगिक हों।</p> <p>(घ) आबंटी, जनता या निकटवर्ती भू स्वामी के भूमि पर विद्यमान भोगाधिकार या प्रभागत अधिकारों में कोई आधा नहीं डालेगा।</p> <p>(13) (क) यदि आबंटी द्वारा निर्धारित अवधि से वृक्ष नहीं लगाये जाते हैं या उसके द्वारा उनकी उचित प्रकार से देखभाल नहीं की जाती है या लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा आबंटीन निरस्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार निरस्तीकरण होने पर लगाये गये वृक्षों या किये गये विकास हेतु कोई मुआवजा देय</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>नहीं होगा तथा आबंटित भूमि से उसे संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा निष्कासित किया जायेगा एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार खड़े पौधे और वृक्ष सरकार जप्त कर लेगी।</p> <p>(ख) यदि भूमि / वृक्ष रहन रखकर किसी वित्तीय संस्था से कोई ऋण लिया गया है, तो ऋण बकाया रहने के दौरान सम्बन्धित वित्तीय संस्था को भी आबंटन निरस्त करने के नोटिस से अवगत किया जायेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण - पद “वित्तीय संस्था” में नाबार्ड, कृषि वित्त निगत लिमिटेड, शिडूल्ड बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटियां एवं बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस हेतु अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थायें, सम्मिलित होती है।</p> <p>9. नियम 18 में लीज के निरस्तीकरण के बारे में निम्न नियम है :-</p> <p>18. पट्टे का निरस्तीकरण राज्य सरकार / कलेक्टर को अधिकार होगा कि अपनी ओर से या किसी व्यक्ति को आवेदन पर या यदि आबंटन / पट्टा किसी छल कपट या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरुद्ध जारी किया हुआ हो या पट्टेधारी ने आबंटन या पट्टे के निबन्धनों या शर्तों का कोई उल्लंघन किया हो, तो किसी भी समय उसे निरस्त कर दें :</p> <p>परन्तु यह कि किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष से कोई आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना, पारित नहीं किया जायेगा।</p> <p>10- पैरा नम्बर-8 व 9 के अनुसार आबंटन / लीज के निरस्तीकरण के प्रावधान बताये गये हैं। उक्त प्रकरण आबंटन / लीज के निरस्तीकरण का नहीं होकर नामान्तरकरण के निरस्तीकरण का है। यहां पर प्रश्न है कि जब आबंटन अस्थाई है तो क्या नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये अथवा नहीं? “पैटा काश्त आबंटन” में भी भूमि का आबंटन किया जाता है लेकिन उसका नामान्तरकरण नहीं खोला जाता है क्योंकि वह आबंटन अस्थाई है न कि स्थाई। इसी प्रकार इस प्रकरण में भी भूमि का आबंटन वृक्षारोपण हेतु अस्थाई है न कि स्थाई। इसलिये इस प्रकरण में भी नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिये था। केवल “नोट” लगाना चाहिये था। अतः हमारी राय में नामान्तरकरण संख्या-367 दिनांक 19-5-1990 विधि विरुद्ध तरीके से खोला गया था जिसे निरस्त</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा सरकार बनाम प्रभूदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त यदि आबंटन / लीज की शर्तों का उल्लंघन पाया जाये तो उसके लिये जिला कलेक्टर कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी हैं।</p> <p>11- अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या-367 दिनांक 19-5-1990 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(हरि शंकर गोयल) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>रेफरेंस / एलआर / 2003 / 10324 / दौसा</p> <p>सरकार बनाम प्रभूदयाल</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>